क्रमांक–प.2 ()जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / बैठक / 2024 / डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 193वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 12:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	193:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 192वीं बैठक दिनांक 13.06.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 192वीं बैठक दिनांक 13.06.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2	09	193:2	जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–7 कॉर्नर क्षेत्रफल 162 व.मी. के बढे हुए क्षेत्रफल 85.65 व.मी. के आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना खूसर के भूखण्ड संख्या बी–7 कॉर्नर क्षेत्रफल 162 व.मी. के बढे हुए क्षेत्रफल 85.65 व.मी. के आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श निर्णय लिया गया कि जोन स्तर पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जावे कि भूखण्ड़ के पेटे नजराना राशि नियमानुसार जमा है। नजराना राशि जमा होना पाये जाने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल 85.65 व.मी का आवंटन वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर किया जावे।
3	11	193:3	ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 1391 क्षेत्रफल 9.74 हैक्टे. में से 20092 व.मी. भूमि CSIR, (केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 1391 क्षेत्रफल 9.74 हैक्टे. में से 20092 व. मी. भूमि CSIR, (केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) हेतु भूमि आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उपायुक्त जोन को निर्देशित किया कि CSIR Resource centre cum centre of excellence की

RajKaj Ref
8536860

				स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के नॉर्म्स के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल बाबत परीक्षण कर उसी अनुरूप क्षेत्रफल का आवंटन प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।
4	11	193:4	रिंग रोड परियोजना के ग्राम पीपला भरत सिंह के भूखण्ड संख्या 11/OB/84 क्षेत्रफल 627 व.मी. भूमि नाले से प्रभावित होने के कारण अवाप्तधीन भूमि के स्थान पर रिंग रोड़ परियोजना के ग्रामों में उपलब्धता के आधार पर 627 व.मी भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा रिंग रोड परियोजना के ग्राम पीपला भरत सिंह के भूखण्ड संख्या 11/OB/84 क्षेत्रफल 627 व.मी. भूमि नाले से प्रभावित होने के कारण अवाप्तधीन भूमि के स्थान पर रिंग रोड़ परियोजना के ग्रामों में उपलब्धता के आधार पर 627 व.मी भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जोन की टिप्पणी अनुसार प्रार्थी की अवाप्ताधीन भूमि नाले/ बहाव क्षेत्र से प्रभावित नहीं थी। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर अवाप्ताधीन भूमि के बदले आवंटित भूखण्ड़ संख्या 11/OB/84 नाले से प्रभावित होने के कारण निरस्त कर इसके स्थान पर समतुल्यता/ सममूल्यता के आधार पर भूखण्ड़ संख्या 11/OB/99 क्षेत्रफल 627 व.मी विनिमय में आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
5	13	193:5	ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील–आमेर में सर्वसमाज के लिए श्मशान घाट हेतु राजस्व ग्राम कंवरपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 632 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आवंटित/आरक्षित करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील–आमेर में सर्वसमाज के लिए श्मशान घाट हेतु राजस्व ग्राम कंवरपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 632 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आवंटित/आरक्षित करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि मौके पर संचालित श्मशान के उपयोग आ रहे क्षेत्रफल के अनुसार परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करे।
6.	13	193:6	जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी, अचरोल के आवासीय भूखण्ड संख्या 96 क्षेत्रफल 112.5 व.मी. में बढे हुए क्षेत्रफल 56.25 व.मी. का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी, अचरोल के आवासीय भूखण्ड संख्या 96 क्षेत्रफल 112.5 व.मी. में बढे हुए क्षेत्रफल 56.25 व.मी. का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में आरक्षित दर 1200/– प्रति वर्गमीटर बताई गई है जो सही नहीं है। समिति द्वारा विचार–विमर्श

RajKaj Ref 8536860

				कर बढ़े हुए क्षेत्रफल 56.25 व.मी का वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	13	193:7	जविप्रा की हरचन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या 241 क्षेत्रफल 202.50 व.मी. भूमि खसरा सीमा से प्रभावित होने के कारण उक्त योजना मे अन्य रिक्त भूखण्ड संख्या 7, 39, 45 क्षेत्रफल 202.50 व.मी. में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा जविप्रा की हरचन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या 241 क्षेत्रफल 202.50 व.मी. भूमि खसरा सीमा से प्रभावित होने के कारण उक्त योजना में अन्य रिक्त भूखण्ड संख्या 7, 39, 45 क्षेत्रफल 202.50 व.मी. में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर जोन प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को आवंटित उक्त भूखण्ड़ के स्थान पर भूखण्ड़ सं0 7, 35 व 45 में से एक भूखण्ड़ लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन को प्रार्थी की उपस्थिति में लॉटरी का आयोजन तत्काल करने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में प्रार्थी को लॉटरी हेतु उपस्थित होने के लिए दूरभाष पर सूचित किया गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्डों का मौका देखने के पश्चात् ही लॉटरी हेतु उपस्थित होने के संबंध में अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा उपायुक्त जोन को शीघ्रातिशीघ्र लॉटरी आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया।
8	13	193:8	जविप्रा की अनुमोदित योजना ट्रांसपोर्ट नगर योजना विस्तार के आवंटित भूखण्ड संख्या डी–39 क्षेत्रफल 422.4 व.मी. के मौके पर एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार 488.85 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 66.45 व.मी. का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा जविप्रा की अनुमोदित योजना ट्रांसपोर्ट नगर योजना विस्तार के आवंटित भूखण्ड संख्या डी–39 क्षेत्रफल 422.4 व.मी. के मौके पर एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार 488.85 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 66.45 व.मी. का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड़ सं0 डी–39 के पास में स्थित भूखण्ड़ संख्या डी–40 यदि किसी को आवंटित नही हैं तो इस बढ़े हुए क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या डी–40 में सम्मिलित कर नीलामी हेतु प्रस्तावित किया जावे तथा भूखण्ड़ सं0 डी–39 का प्रार्थीयॉ को आवंटित क्षेत्रफल 422.4 व.मी. का पट्टा जारी किया जावे।

RajKaj Ref
8536860

9.	13	193:9	1. श्री विकास जाखड शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता 2. श्री कृष्ण सिंह दयाल राठौड शौर्य चक्र पुरूरूकार विजेता 3. श्री सुबेदार रामपाल सिंह वीर चक्र गेलेन्ट्री पुरूस्कार विजेता 4. श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता 5. श्री मुकेश कुमार राजपुताना रायफल शौर्य चक्र विजेता 6. श्री चेतन कुमार चीता पुत्र श्री रामगोपाल चीता, कीर्ति चक्र विजेता 7. श्री मेजर विजय वर्मा, गैलेन्ट्री पुरूस्कार विजेता 8. श्री नीरज अहलावत पुत्र श्री बृजभान, शौर्य चक्र विजेता 9. श्री दिव्यांश सिंह पंवार, एशियन गेम्स में शूटिंग रेंज पदक विजेता 10. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिशपाल कृष्णिया, 18वें एशियन गेम्स नौकायन में खेल पदक विजेता 11. मानिनी कौशिक पुत्री श्री अनिल कौशिक, एशियन गेम्स रायफल शूटिंग सिल्वर मेडल विजेता उपरोक्तानुसार गैलेन्ट्री अवार्ड्स धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मेडल धारकों (ओलम्पिक्स/पैरा ओलम्पिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ में पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर योजना के 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से प्रत्येक अवार्ड धारक को एक	उपायुक्त जोन–13 द्वारा 1. श्री विकास जाखड शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता 2. श्री कृष्ण सिंह दयाल राठौड, शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता 3. श्री सुबेदार रामपाल सिंह, वीर चक्र गेलेन्ट्री पुरूस्कार विजेता 4. श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता 5. श्री मुकेश कुमार, राजपुताना रायफल शौर्य चक्र विजेता 6. श्री चेतन कुमार चीता पुत्र श्री रामगोपाल चीता, कीर्ति चक्र विजेता 7. श्री मेजर विजय वर्मा, शौर्य चक्र गैलेन्ट्री पुरूस्कार विजेता 8. श्री नीरज अहलावत पुत्र श्री बृजभान, शौर्य चक्र विजेता 9. श्री दिव्यांश सिंह पंवार, एशियन गेम्स में शूटिंग रेंज पदक विजेता 10. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिशपाल कृष्णिया, 18वें एशियन गेम्स नौकायन में खेल पदक विजेता 11. मानिनी कौशिक पुत्री श्री अनिल कौशिक, एशियन गेम्स रायफल शूटिंग सिल्वर मेडल विजेता उपरोक्तानुसार गैलेन्ट्री अवार्ड्स धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मेडल धारको (ओलम्पिक्स/पैरा ओलम्पिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ में पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर योजना में 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से प्रत्येक अवार्ड धारक को एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के ब्लॉक–सी के भूखण्ड़ संख्या सी–221 से सी–229, ब्लॉक डी के भूखण्ड़ संख्या डी–392 से डी–399 एवं डी–401, डी–424 कुल 41 भूखण्ड़ (प्रत्येक का क्षेत्रफल 180.00 व.मी.) को गैलेण्ट्री अवार्डस धारको (परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र/ अशोक चक्र/ शौर्य चक्र/ कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (ओलम्पिक्स/ पैरा ओलम्पिकस में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक विजेता)

RajKaj Ref
8536860

			भूखण्ड आवंटन करने बाबत्	हेतु आरक्षित किया जावे। राज्य इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के रूल–17ए के क्रम में उक्त रिक्त भूखण्ड़ों में से लॉटरी के माध्यम से आवेदक प्रत्येक अवार्डी/पदक विजेता को एक भूखण्ड़ निःशुल्क आवंटित किया जावे। आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक से उक्त नियम के तहत पूर्व में राज्य में कोई भूखण्ड आवटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ–पत्र लिया जावे।
10.	13	193:10	श्रीमती निर्मला देवी राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार से सम्मानित को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए क े तहत जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर योजना क े 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटित करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्रीमती निर्मला देवी राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार से सम्मानित को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए क े तहत जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर योजना के 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटित करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के ब्लॉक–ई के भूखण्ड संख्या ई–3 से ई–7, ई–9, ई–13, ई–14, ई–16, ई–32 कुल 10 भूखण्ड (प्रत्येक क्षेत्रफल 180 व.मी.) को राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार एवं स्वतंत्रता सेनानियों हेतु आरक्षित किया जावे। राज्य इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के रूल–17ए के क्रम में उक्त आरक्षित भूखण्डों में से आवेदक को लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किया जावे। आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक से उक्त नियम के तहत पूर्व में राज्य में कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ–पत्र लिया जावे।
11.	13	193:11	श्री कालिदास स्वामी पुत्र श्री गिरधारी दास निवासी ढाणी केवलदास वाली, जेतुसर, रींगस, सीकर स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए क े तहत जविप्रा की	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्री कालिदास स्वामी पुत्र श्री गिरधारी दास निवासी ढाणी केवलदास वाली, जेतुसर, रींगस, सीकर स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत जविप्रा की आवासीय कल्पना नगर योजना के 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से

RajKaj Ref 8536860

			आवासीय कल्पना नगर योजना के 180 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	लॉटरी के माध्यम भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के ब्लॉक–ई के भूखण्ड संख्या ई–3 से ई–7, ई–9, ई–13, ई–14, ई–16, ई–32 कुल 10 भूखण्ड (प्रत्येक क्षेत्रफल 180 व.मी.) को राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार एवं स्वतंत्रता सेनानियों हेतु आरक्षित किया जावे। राज्य इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के रूल–17ए के क्रम में उक्त आरक्षित भूखण्डों में से आवेदक को लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किया जावे। आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक से उक्त नियम के तहत पूर्व में राज्य में कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ–पत्र लिया जावे।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नाकिंत अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार–विर्मश कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।				
12	4	193:12	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 300 शैयायुक्त सेटेलाईट अस्पताल, सांगानेर के प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा 300 शैयायुक्त सेटेलाईट अस्पताल सांगानेर के प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि सांगानेर सैटेलाईट अस्पताल 100 बैड़ का स्वीकृत है जिसे 300 बैड तक अपग्रेड किये जाने की योजना है। विचार–विमर्श कर सांगानेर सैटेलाइट अस्पताल हेतु पूर्व में उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को निरस्त कर जोन प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम सांगानेर के खसरा नं. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 71, एवं 72 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 57, 70, 71 पर निर्माण नहीं किये जाने एवं किस्म अनुसार उपयोग की शर्त के आधार पर 10100 व.मी भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। उक्त खसरा नंबरों पर कुछ भाग में बनी कारागृह की

RajKaj Ref
8536860

				कोठरियों को चिकित्सा विभाग केन्द्रीय कारागृह से समन्वय कर अपने स्तर पर ही उक्त कोठरियों को हटाने की कार्यवाही करेगा।
13	9	193:13	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना मोहन नगर के भूखण्ड संख्या ए–26, के पीछे स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 78.77 वर्ग गज का आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा विकास भवन गृ.नि. स.स. की योजना मोहन नगर के भूखण्ड संख्या ए–26, के पीछे स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 78.77 वर्ग गज का आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार–विमर्श कर आवेदक को ए–26 के पीछे वाली भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड क्षेत्रफल 78.77 वर्ग गज आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य भूखण्डधारियों के पीछे रिक्त भूमि को जविप्रा के कब्जे में लेने अथवा भू–आवंटी द्वारा अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.क्91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्7019द्वरू फैक्स.91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref
8536860

Signature Not Verified

Digitally Signed by PRIYA BALRAM SHARMA
Designation : Additional Commissioner
Date :05-07-2024 01:37:50